संख्या-12/2026/001-93-24-1-2026-1049-2021

प्रेषक,

संजय शुक्ला,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्धनिदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 19 फरवरी, 2026

विषय:-वित्तीयवर्ष 2025-26 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा रू0 7439.20 करोड़ के बंधपत्रों पर देय ब्याज के भुगतान हेतु प्राविधानित अंशपूँजी की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्तविषयकनिदेशक (वित्त),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-73/अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2025-26/468, दिनांक 20 जनवरी, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूँजीगत मद के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 4801-05-190-15-30 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा रूपये 7439.20 करोड़ के बंधपत्रों पर देय ब्याज के भुगतान हेतु अंशपूँजी के रूप में प्राविधानित धनराशि रूपये 1534,79,20,000/- (रूपये एक हजार पॉच सौ चौंतीस करोड़ उन्यासी लाख बीस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि को चतुर्थ त्रैमास हेतु बंधपत्रों पर देय ब्याज सहित पुर्नभुगतान की धनराशि रूपये 373,16,20,029 (रूपये तीन सौ तिहत्तर करोड़ सोलह लाख बीस हजार उनतीस मात्र) निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं।

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना को समय से पूर्ण कराये जाने हेतु किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।